

16.5.2018

अभिभाषक वादी द्वारा वाद-पत्र पेप किया गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 4.6.2018 वास्ते तलबी प्रतिवादीगण पेप हो।

4.6.18

पमानली कैम्प गैरग डेयर के पेप डेडी वादी अभिभाषक उप-उत्तरिवादी ए. 1 ता 5 श्री कौर के श्री गुरुकुल कक्षा 12 के बकालतगण पेप किया। वादी पत्र श्री कौर के ज. पत्र 01 R 10 (2) CPC पेप कर उत्तरिवादी ए-6 के रिफूट कोर्ट क्रिउतेरफ नही होने के कारण गठ delete का आग्रह किया गया। उत्तरिवादी पत्र श्री कौर के उत्तर-पत्र का No-objection सिद्ध करने के उम्मत ज. पत्र लीकार सिद्ध माना है, श्रीफूट के गठ delete सिद्ध करने उत्तरिवादी ए. 1 ता 5 श्री कौर के उत्तर वादी के पेप डेडी सिद्ध वाद-पत्र का लीकार सिद्ध गया। उत्तरिवादी ए-7 के हित सुरक्षित रखने डेडी तलबी बन्द श्री जानी है। वादीगण व उत्तरिवादीगण ए. 1 ता 5 श्री कौर के लच्छं हाविर आउर भाउ कदालत श्री कानन के डिक्ली सिद्ध करने का निर्देश करते डेडी रादीगण पेप किया गया। वादी गठ गणदीड शाहित पमानली सिद्ध गया। वादी एवं उत्तरिवादी अभिभाषक श्री गुरुकुल लुनी गड सिद्ध करने

विवरण
कृपया

राम लाल
रजिस्ट्रार
9 June to do
-Execution

21/6/18

9.5y

(al)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान...नोरंगदेसर.....

पीठासीन अधिकारी:-

1. कृष्णलाल
2. रामलाल
3. रणजीतासिंह
4. शिवभगवान

पि० निकूराम जाति जाट साकिन नोरंगदेसर तहसील व
जिला हनुमानगढ़।

-----वादीगण

बनाम

1. निकूराम पि० मु० पारी पत्नी मनफूल जाति जाट साकिन नोरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. गोपीराम पुत्र निकूराम जाति जाट साकिन नोरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. गीतादेवी पुत्री निकूराम पत्नी बेगराज जाति जाट साकिन उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. सन्तोदेवी पुत्री निकूराम पत्नी रणवीर जाति जाट साकिन चक दानेवाला (8एचएच) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. बन्तोदेवी पुत्री निकूराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन ममेरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व)

-----प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व तकसीम

मुकदमा नम्बर:- 135/18

निर्णय दिनांक:- 4.6.2018

वादीगण की ओर से श्री देवदत्त.....की व
प्रतिवादीगण की ओर से श्री राजकुमार.....की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक
4.6.18 को(नाम पीठासीन अधिकारी) सुरेश सिंह, पुरोहित (RAS)
उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया
जाता है कि डिक्री की जाती है कि:-

1- चक 18 एन डी आर की 5.060 है० संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद होने के कारण
वादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर प्रत्येक 1/4 हिस्सा अर्थात् 1.265 है० का